नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पर बहस नहीं करने की स्थिति में पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर कर दिया जायेगा। पत्रावली में पूर्वादेशानुसार 500 रु. की कोस्ट हेतु लिखा गया है जबकि कोस्ट मूलवाद में दिलवाई जा चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस T.। दिनांक 05/3/24 को पेश हो।
	5/7/24	वादी का उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। इकतरफा सूची के क्रम में इकतरफा पेश हुए के कारण पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी के अपनी बहस के कथन किया गया है कि इन प्रार्थीगण विपक्षीगण के विक्रीड स्वामीदार काश्तकार प्रार्थीगण ही उक्त भूमि का सम्यक प्रकार से उपयोग उपभोग करते है एवं कृषि सरकारी सड़क करते है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व विक्रीड स्वामीदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जे करने व हैरान परेशान करने पर आमादा रहते है जिससे अप्रार्थीगण को ता. कब्जा [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बाबूराम बनाम बाबूराम वगै०

मुकदमा नम्बर :– 282/2004

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अधिवक्ता/प्रार्थी के अपनी बहस के कथन किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। दोनों के बन्दोबस्त निकाय के सहयोग से प्रार्थी वादीगण के नाम से इंद्राज करवा दिया गया है। जिसके सम्बन्धित फौत एवं खतौनी का अन्तरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी वादीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा व अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा व व्यवर्त के स्थायि फरमाया जावे। अतः दोनों पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण जिसकी खातेदार काश्तकार है के से प्रथम दृष्टया केश की सुनवाई का अन्तरण व सम्बन्धित फौत का विवाद प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ फैसला वाद स्थायी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के काम फतेहपुरी तहसील चौमूं के आराजी रकबा नम्बर 106/1420, 113/1[illegible] का काम रकबा 1.11[illegible] वाद स्थाई निषेधाज्ञा बनाये किया जाकर [illegible] किया जाता है। अपने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर डाकर नम्बर से कार्य हो तथा डाकिया [illegible] है। मुल वाद के सम्बन्ध है।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner